रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1984/भाद्र 21, 1906
No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1984/BHADRA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 54-आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1984

विषय :—अप्रैल 1984—मार्च 1985 के लिये आयात-निर्यात नीति।

मिसिल सं 12/44/84-ई पी सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 18-आई टी सी (पी एन)/84 दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1984–मार्च, 1985 के लिये यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीति में नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किये गये समझे जायेंगे :—

क्रम सं०	आयात-निर्यात नीति 1984-1985 (जिल्द-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	220	परिशिष्ट 17 क्रम सं० क.27 अभ्युक्ति (1)	चौथी पंक्ति में "6303" आंकड़े को संशोधित करके "6203" पढ़ा जाएगा।
2.	349	परिशिष्ट 22 अनुबंध-3	परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 3 के बाद अनुबंध 4 : "स्वर्ण आभूषण के निर्माण के लिए किसी विशेष निर्यात अभिमुख काम्प्लैक्स स्थापित करने के लिये योजना" जोड़ा जायेगा।

ग चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय का सार्वजनिक सूचना सं० 54 आई०टी०सी० (पी एन)/84, दिनांक 12 सितंबर, 1984 का अनुबन्ध

स्वर्ण आभूषण बनाने के लिये विशेष निर्यात अभिमुख काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए योजना।

विशेष निर्यात अभिमुख काम्प्लेक्सेस में स्वर्ण आभूषणों के विनिर्माण की अनुमति दी जायेगी। ये विशेष निर्यात अभिमुख कम्प्लेक्स, इस नीति के परिशिष्ट-23 में यथा उल्लिखित 100% निर्यात अभिमुख एकक योजना के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे सिवाए इसके कि :—

(क) इन कम्प्लैक्सों में विनिर्मित माल में रद्द किये गये किसी भी माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) आभूषण बनाने की एककों की मशीन, उपकरण, उपभोज्यों और उप-साधित्रों सहित विशेष जरूरतों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर मदों की उस सूची से किया जायेगा जो बनाई जायेगी ।

(ग) इन कम्प्लैक्सों की एककों के लिये बांड का प्रपत्र, जो 10 वर्ष की अवधि के लिये होगा वह विशेष रूप से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाया जायेगा ।

(घ) जैसे ही एक एकक (डिवांडिड) बाण्ड से निकाल दिया जाता है तो उसे कम्प्लैक्स के भीतर अधिक आगे के लिये काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(ङ) एक एकक को बाण्ड रहित किये जाने पर, स्वर्ण अन्य बहुमूल्य धातु मिश्रित धातु, हीरे और उपलब्ध आभूषणों के विनिर्माण के लिये उपलब्ध अन्य सामग्री वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित अभिकरण को उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर सौंप दी जायेगी। वाणिज्य मंत्रालय ऐसे अभिकरण की पहचान करेगा और उचित अधिसूचना जारी करेगा ।

2. प्रारंभ में 5 केन्द्रों, अर्थात् दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास बम्बई में कम्प्लैक्सों की अनुमति दी जायेगी ।

3. अन्य केन्द्रों में ऐसे कम्प्लैक्स स्थापित करने की सुविधा का विस्तार करने के निर्णय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

4. विशेष निर्यात अभिमुखत कम्प्लैक्स की पहचान व्यापारियों द्वारा की जायेगी या राज्य सरकार या राज्य या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रायोजित किये जा सकते हैं और व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रस्ताव या तो प्रायोजित अभिकरण या रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा समन्वित किये जायेंगे ।

5. आभूषण विनिर्माण के एककों के कम्प्लैक्स के लिये इस प्रकार पहचाने गये प्रत्येक स्थापित होने वाले कम्प्लैक्स सीमाशुल्क स्टाफ सहित वे सब सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा जो प्रायोजित अभिकरण द्वारा निर्धारित आधार पर कम्प्लैक्स में प्रचालन उद्यमियों द्वारा वहन की जा रही है ।

6. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थान चयन समिति बनायी जायेगी जो सुरक्षा और सीमाशुल्क बांडिंग व्यवस्था की दृष्टि से कम्प्लैक्स के स्थान के औचित्य के संबंध में अनुमोदन बोर्ड को सिफारिश करने के लिये जिम्मेदार होगी ।

7. स्थान चयन समिति की सिफारिश के साथ-साथ एक कम्प्लैक्स में कार्य करने के इच्छुक एककों के व्यक्तिगत आवेदनपत्रों पर 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिये अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा ।

8. इन कम्प्लेक्सेस में कार्यरत स्वर्ण आभूषण विनिर्माता एककों के मामले में पूंजीगत माल, आदि रूपों, तकनीकी नमूने, उपभोज्य, फालतू पुर्जे और पैकेजिंग सामग्री के आयात के लिये दी जाने वाली सुविधाएं अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार अलग से बनाई जायेंगी और इनके लिये एक अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी ।

9. इन कम्प्लैक्सेस के एककों को शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एक के योजना के लिये लागू क्रिया विधि और सभी कच्चे माल, मध्यस्थ और संघटक जिसमें स्वर्ण मिश्र धातु, कैरट स्वर्ण, रंगीन स्वर्ण, बहुमूल्य धातु जिसमें प्लेटिनम पैलेडियम,' मार्केट्स, फ्रेम, माउंटिंग, रत्न और पत्थर भी शामिल है , के सीधे आयात के लिये नीचे की कंडिका 10 में निर्धारित निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जायेगी । लेकिन 0.999 की उत्कृष्टता और शुद्धता वाले सोने की अनुमति भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य स्वर्ण नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के परामर्श से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मनोनीत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम के बिना नहीं दी जायेगी, ऐसे मामलों में, विशेष पहचान चिन्ह के लिये बम्बई में सरकारी टकसाल द्वारा मोहर लगाई जायेगी ।

10. विशेष एकक द्वारा विनिर्माण के लिये अपेक्षित आयातित माल की मात्रा के विषय में निर्धारण, एकक द्वारा संकेतित निर्यात की संभावना और व्यापार चक्र के अनुसार उसकी आवधिक आवश्यकताओं के आधार पर और अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित आधार पर किया जायेगा । आरम्भ में निर्धारित मात्रा की सीमा को निर्यात आयुक्त या अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुनः निर्धारण के लिये मनोनीत किसी अन्य अधिकारी की सिफारिश के आधार पर स्थापित, निर्यात निष्पादन, वर्तमान आदेश या उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।

11. आभूषण कम्प्लैक्स में कार्य करने के लिये अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित एककों के लिये स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी लाइसेंस एककों द्वारा प्राप्त किये जायेंगे ।

12. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् की सदस्यता योजना में आरम्भ से भाग लेने के लिये पूर्व अपेक्षित शर्त नहीं होगी, लेकिन उन्हें पहले निर्यात की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर परिषद् में शामिल हो जाना चाहिये ।

13. इस योजना के अन्तर्गत निर्यात केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास. दिल्ली और जयपुर में सीमाशुल्क कार्यालय के माध्यम से हवाई लदान द्वारा अनुमत किया जायेगा ।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 54—ITC(PN)/84

New Delhi, the 12th September, 1984

Subject:—Import and Export Policy for April 1984—March 1985

File No. 12/44/84-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy (Vol—I)for April 1984—March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18—ITC (PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

S. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol—I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	220	Appendix 17 S.No. A.27 Remark (1)	In line 4 the figure "6303" shall be corrected to read as "6203".

1	2	3	4
2.	3.	Appendix 22 Annexure III	After Annexure III to Appendix 22 Annexure IV: Scheme for setting up special export oriented complexes for manufacture of Gold Jewellery, as annexed to this Public Notice shall be added.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.

Annexure to Ministry of Commerce Public Notice No. 54-ITC(PN)/84 dated the 12th September, 1984

APPENDIX 22

ANNEXURE IV

SCHEME FOR SETTING UP SPECIAL EXPORT ORIENTED COMPLEXES FOR MANUFACTURE OF GOLD JEWELLERY

Manufacture of gold jewellery will be permitted in special export oriented complexes. These special export oriented complexes will be governed by the provisions of the 100% export oriented units scheme as detailed in Appendix 23 of this Policy, except that:

(a) nothing including the rejects, manufactured in these complexes will be permitted to be sold in the domestic tariff area;

(b) the specific requirements of jewellery manufacturing units, including machines, equipment, consumables and ancillaries will be determined on a case by case basis, from a list of items which will be drawn up.

(c) the format for the bond for the units in these complexes, which will be for a period of ten years, will be drafted specially by the Ministry of Commerce;

(d) as soon as a unit is debonded, it will no longer be permitted to function within the complex; and

(e) on a unit being debonded, gold, other precious metals, alloys, gems and other material available for manufacture of jewellery will be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce at the price to be determined by that agency. Ministry of Commerce will identify such an agency, and issue appropriate notification.

2. To start with, the complexes will be permitted at five centres, viz. Delhi, Jaipur, Calcutta, Madras and Bombay.

3. The decision to extend the facility of setting up such complexes at other centres will be taken on merits by the Ministry of Commerce.

4. Special export-oriented complexes will be identified by the trade or may be sponsored by either State Government or a public sector enterprise of the State or Central Government and the proposals from individual entrepreneurs will be coordinated either by the sponsoring agency or the Gem & Jewellery Export Promotion Council.

5. Each building complex so identified for a complex of units for jewellery manufacture will serve as a common facility all costs, including for the Customs staff, being shared by the entrepreneurs operating in the complex on the basis laid down by the sponsoring agency.

6. A Site Selection Committee will be constituted by the Ministry of Commerce which will be responsible for making recommendations to the Board of Approval regarding the locational suitability of the complexes from the view point of security and Customs bonding arrangements.

7. The recommendations of the site Selection Committee as well as individual applications of units wishing to function in a complex will be considered by the Board of Approvals for 100% EOUs.

8. In the case of gold jewellery manufacturing units operating in these complexes, the facilities to be allowed for import of capital goods, prototypes, technical samples, consumables, spares and packaging material will be separately worked out as approved by the Board of Approvals, and a separate notification will be issued.

9. The units in these complexes will be permitted in accordance with the procedure applicable to the 100% EOU scheme and the stipulation laid down in para 10 below, to directly import all raw material, intermediates and components, including gold alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including platinum and palladium, sockets, frames, mountings gems and stones. Gold of 0.999 fineness and purity will, however, not be allowed except through the State Bank of India or any other agency designated by the Ministry of Commerce in consultation with the Gold Control Authorities, the Central Board of Excise & Customs and the Chief Controller of Imports & Exports and, in such cases, special identification marks will be stamped by the Government Mint at Bombay.

10. The assessment about the quantity of imported material required for manufacture by a particular unit will be determined on the basis of the potential of export and its periodical requirement according to a cycle of turnover indicated by a unit and approved by the Board of Approvals. The limits of quantities determined initially may be reduced or enhanced by the Board of Approvals in the light of export performance, orders in hand or the capacity of production, established on the basis of the recommendations of the Export Commissioner or any other officer designated for re-assessment by the Board of Approvals.

11. Dealer's licences under the Gold Control Act for units approved by the Board of Approvals for operation in jewellery complexes will be obtained by the units.

12. Membership of the Gem and Jewellery Export Promotion Council will not be a pre-requisite condition to participate in the Scheme to begin with but they should join the Council within a period of three months from the date of first export.

13. Export under this scheme shall be allowed only by air freight through the Customs House at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi and Jaipur.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984